रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10072026-274339
SG-DL-E-10072026-274339

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 91
No. 20]	DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948	[N. C. T. D. No. 91

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सं. 58/नियम/डीएचसी.— दिल्ली **उच्च** न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1917 (1917 का 4) की धारा 3 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली **उच्च** न्यायालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के माननीय उपराज्यपाल की पूर्व अनुमोदन से, दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेशों के खण्ड-IV के अध्याय 16 के भाग-च (ग. रजिस्टर) में एतद् द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है :-

दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेशों के खण्ड-IV के अध्याय 16 के भाग-च (ग. रजिस्टर) के वर्तमान नियम 22 एवं 23 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

"**22. 6 वर्ष तक परिरक्षित रखे जाने वाले रजिस्टर-** निम्नलिखित न्यायिक रजिस्टरों को अंतिम प्रविष्टि की तिथि से छह वर्ष तक परिरक्षित रखा जाएगा तथा तत्पश्चात नष्ट कर दिया जाएगा :-

लेखापरीक्षित जुर्माना रसीद पुस्तिका

सिविल रजिस्टर संख्या XVI, XVIII, XXI-क, XXI-ख एवं XXV

आपराधिक रजिस्टर संख्या XV तथा XVII

विविध रजिस्टर ख

परंतु सिविल रजिस्टर संख्या XVIII तथा इस नियम में उल्लिखित अन्य रजिस्टरों को आवश्यकता होने पर लंबी अवधि तक परिरक्षित रखा जाएगा। ऐसे रजिस्टरों को उस तिथि से कम-से-कम तीन वर्ष की अवधि तक परिरक्षित रखा जाएगा, जिस तिथि को स्टाम्प लेखा परीक्षकों द्वारा इंगित की गई स्टाम्प शुल्क एवं न्यायालय शुल्क की कमियों से संबंधित समस्त बकाया राशि वसूल कर ली गई हो अथवा उसे अपलिखित कर दिया गया हो।

23. 3 वर्ष तक परिरक्षित रखे जाने वाले रजिस्टर

निम्नलिखित न्यायिक रजिस्टरों को अंतिम प्रविष्टि की तिथि से तीन वर्ष तक परिरक्षित रखा जाएगा तथा तत्पश्चात नष्ट कर दिया जाएगा :-

सिविल रजिस्टर संख्या VII, VIII, IX, XII, XVII, XXI-ग, XXII तथा XIII

आपराधिक रजिस्टर संख्या V, VI, XI, XII तथा XIII

विविध रजिस्टर ग, घ, ङ तथा च

एम.सी.डी. विभाग से संबंधित चालान अभिलेख ।"

टिप्पणी : ये संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार,

अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd July, 2026

No. 58/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Section 3 of the Destruction of Records Act, 1917 (4 of 1917) & Article 227 of the Constitution of India and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, with the prior approval of the Lt. Governor of the Government of National Capital Territory of

Delhi, hereby makes the following amendments in Part F (C. Registers) of Chapter 16 of Volume IV of Delhi High Court Rules & Orders :-

THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING RULE 22 AND 23 OF PART F (C. REGISTERS) OF CHAPTER 16 OF VOLUME IV OF DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-

"**22. Registers to be preserved for 6 years**—The following judicial registers shall be preserved for six years from the last date of the entry and shall then be destroyed :—

Audited Fine Receipt Book

Civil Register Nos. XVI, XVIII, XXI-A, XXI-B and XXV.

Criminal Register No. XV and XVII.

Miscellaneous Register B.

Provided that Civil Register No. XVIII and other registers mentioned in this Rule shall be preserved for a longer period, if necessary. Such registers shall be preserved for a period of at least 3 years after the date on which all dues in respect of deficiencies in stamp duty and Court fees pointed out by Stamp Auditors are recovered or written off.

23. Registers to be preserved for 3 years—The following judicial registers shall be preserved for three years from the date of the last entry and shall then be destroyed:

Civil Registers Nos. VII, VIII, IX, XII, XVII, XXI-C, XXII and XIII.

Criminal Registers Nos. V, VI, XI, XII and XIII.

Miscellaneous Registers C, D, E and F.

Challan records pertaining to the MCD Department."

NOTE: THESE AMENDMENTS SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF THEIR PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,

ARUN BHARDWAJ, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.07.10 14:26:22 +05'30'